

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 1279

/म0नि0नि0/2017-18

दिनांक: 17 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-5 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम स्थलों का जिलेवार चिन्हांकन निम्नवत् किया जाता है :-

क्रमांक	जनपद का नाम	सुगम	दुर्गम
1	देहरादून	1. मुख्यालय, देहरादून 2. देहरादून 3. विकासनगर, 4. ऋषिकेश,	—
2	हरिद्वार	1. हरिद्वार, 2. रुड़की, 3. लक्सर	—
3	ऊधमसिंह नगर	1. रुद्रपुर, 2. किच्छा, 3. काशीपुर, 4. जसपुर 5. बाजपुर, 6. सितारगंज	—
4	नैनीताल	1. नैनीताल 2. हल्द्वानी, 3. रामनगर	1. धारी
5	पौड़ी गढ़वाल	1. कोटद्वार	1. पौड़ी, 2. श्रीनगर, 3. लैन्सडौन
6	टिहरी गढ़वाल	—	1. टिहरी 2. देवप्रयाग 3. जाखणीधार 4. घन्साली
7	रुद्रप्रयाग	—	1. रुद्रप्रयाग 2. ऊखीमठ
8	उत्तरकाशी	—	1. उत्तरकाशी, 2. बडकोट 3. पुरोला
9	चमोली	—	1. चमोली, 2. थराली 3. कर्णप्रयाग 4. जोशीमठ
10	अल्मोड़ा	—	1. अल्मोड़ा, 2. रानीखेत 3. भिक्यासैण
11	बागेश्वर	—	1. बागेश्वर 2. कपकोट
12	पिथौरागढ़	—	1. पिथौरागढ़ 2. गंगोलीहाट 3. डीडीहाट
13	चम्पावत	—	1. चम्पावत

(सौजन्या)

महानिरीक्षक निबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून

पू0प0सं0 / / दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त (वित्त अनुभाग-9), उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
- 3- उप/समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 4- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय/नोडल अधिकारी (कम्प्यूटराईजेशन), स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को उत्तराखण्ड/विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्यालय प्रति।

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून

1/c